न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी–अनिल कुमार चौधरी,आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
116 / 2020	02.12.2020	20.07.21

1. श्रीमती उगन्ती पत्नी नन्दकंवर जाति मीना निवारी ग्राम मीनापाडा तहसील गंगापुर सिटी –वादिया

बनाम

1. बाबूडी पत्नी स्व0 रामनिवास
2. मोहरसिंह
3. भूरसिंह
4. लोकेश

(2–4) पुत्रान स्व0 रामनिवास — जाति – मीना, ग्राम – मीनापाडा, तहसील गंगापुर सिटी

5. मैनेजर, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर सिटी
6. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदारजी तहसील गंगापुर सिटी

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इसतकरारकह खातेदारी टीनेन्सी, दुरुस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी

उपस्थितः– 1. वादीया की ओर से श्री महेश चन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
2. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही।

निर्णय

वादिया ने दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मीनापाडा तहसील गंगापुर सिटी में आराजी हाल खसरा नम्बर 568 रकबा 0.17 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि के खातेदारान प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 द्वारा वादिया के पक्ष में अपना – अपना हिस्सा 1/4 का अर्थात संपूर्ण भूमि का वयनामा रजिस्टर्ड दिनांक 06.07.2016 को तहरीर व तकमील करके अपने समस्त हक हकूक समाप्त करके वादिया के हक में निहित कर दिए। और वादिया को मौके पर कब्जा संभला दिया। वादिया कानूनन उक्त भूमि की काबिज काश्तकार खातेदार टीनेन्ट हो चुकी है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने अपने हिस्से की भूमि को बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर सिटी के यहां रहन रखी है। व उसका रहन का इन्द्राज भी जमाबंदी में दर्ज है। इस कारण [illegible] है। वादिया कितनी ही मर्तबा भूमि खसरा नम्बर 568 रकबा 0.17 हैक्टर का ना[illegible] वादिया के पक्ष में खुलवाने हेतु प्रतिवादीगण को अनुनय विनय कि[illegible] इस पर हां हू करके टालमटोली करते हुए समय गुजारी करते रहे व दि[illegible] 11.11.2019 को कहा कि [illegible] तुम्हारे नाम कोई नामातंकरण नही [illegible] हो वो कर लो इस प[illegible] को काफी आश्चर्य हुआ। व वादिया इस पर पटवा[illegible] से मिली तो पटवारी ने [illegible] जमाबंदी में भूमिमुतदाविया का बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर सिटी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.12.13 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Scanned with CamScanner

नाम रहन का इन्द्राज दर्ज है। इसलिए अभी तुम्हारे नाम नामान्तकरण नही खोला जा सकता है। तुम दावा करके भूमि का नामान्तकरण अपने नाम खुलवालो। इस कारण वादिया को अपने हक हकूक हेतु दावा दायरी की नौबत आयी। प्रतिवादीगण का अपनी फैल बेजा हरकतों से उस समय तक बाज आना नामुनकिन है जब तक कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं फरमा दिया जावेगा। प्रतिवादीगण को इस आशय का हुक्मइम्तानाई दवामी से पाबंद फरमाया जावें कि वे वादिया के संपूर्ण भूमिमुतदविया खसरा नम्बर 568 रकबा 0.17 हैक्टर ग्राम मीनापाडा तहसील गंगापुर सिटी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मानेमदालखत ना तो स्वयं करें नाहिं किसी अन्य से करावें।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर दिनांक 04.03.2020 को प्रतिवादी नं0 5 उपस्थित एवं प्रतिवादी नं0 2 व 6 की बाबजूद सुचना उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 10.03.21 को प्रतिवादी नं0 1, 3 एवं 4 बावजूद सुचना उपस्थित नही अतः प्रतिवादी नं0 1, 3 एवं 4 के विरुद्व एकतरफा कार्यवाही की गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी आगामी पेशी नियत की गई ।

वादिया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 खाता संख्या 225 प्रर्दश–2 एवं असल विक्रय पत्र दिनांक 06.07.20216 बाबूडी बहक उगन्ती प्रर्दश–1 पेश किया है।

वादिया ने दिनांक 24.03.21 को वादीया ने गवाह पी.डब्लू–1 उगन्ती कराये एवं बयान दर्ज कराकर अपनी साक्ष्य बंद की तथा पत्रावली वास्ते बहस तरीख पेशी नियत की गई ।

बहस वकील वादिया सुनी गई। वकील वादिया ने अपने वाद के अनुरुप बहस करते हुए विवादित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.0716 को प्रतिवादीगण से क्रय करना बताया है जिसके समर्थन में वादिया ने प्रर्दश–1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश करना कहा है। तथा विवादित भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के नाम होने के संर्दभ में जमाबंदी सवत् 2070 से 2073 प्रर्दश–2 पेश करना बताया तथा साथ हि यह बताया कि विवादित भूमि पर भूमि क्रय की दिनांक से प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर दिये कब्जे अनुसार वादिया आज भी काबिज काश्त है परन्तु अब प्रतिवादीगण की नियत में बेईमानी पैदा हो गई है। क्योकिं भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है क्योकिं प्रविवादीगण द्वारा भूमि को प्रतिवादी संख्या–5 के यहा रहन रख रखा है जिसके कारण रजिस्ट्री का इन्द्राज रेवन्यू रिकोर्ड में नही हो पाया है। वादिया को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर रेवन्यू रिकोर्ड में वादिया के नाम का अंकन दर्ज किया जावे तथा वादिया का दावा डिक्री घोषित किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया । वादीया ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रर्दश–1 विक्रय पत्र दिनांक 06.07.16 एवं प्रर्दश–2 नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 पेश की है प्रर्दश–2 से प्रमाणित है कि विवादित भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है तथा उक्त प्रतिवादीगण द्वारा भूमि को प्रतिवादी संख्या 5 के यहां रहन रखा हुआ है जिसका इन्द्राज प्रर्दश–2 में है। प्रर्दश–1 से यह प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि को 1 लगायत 4 द्वारा वादिया को विक्रय कर मौके पर कब्जा संभलाया गया है। तथा गवाह पी.डब्लू –1 के कथनानुसार मौके पर वादिया का कब्जा काश्त है। वकील वादी ने अपनी बहस में यह कथन किया है कि विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के यहा रहन होने के कारण विवादित भूमि का इन्द्राज वादिया के नाम दर्ज नही हो सकें। जिसकी पुष्टि दस्तावेज प्रर्दश– 1 से होती है। प्रतिवादीगण जानबूझ कर न्यायालय में गैर हाजिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.12.13 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Scanned with CamScanner

रहे जिससे प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की बदनियती स्पष्ट होती है। दावा वादिया पुर्णतः उसके हक में साबित होने के कारण डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः दावा वादीया इस आशय का डिक्री किया जाता है कि भूमि खसरा नंबर 568 रकबा 0.17 हैक्टर वाके ग्राम मीनापाडा तहसील गंगापुर सिटी का वादिया को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के नाम चल रहे इन्द्राज को हजफ कर उक्त भूमि की खातेदारी वादिया के नाम दर्ज किया जावे । इसी अनुसार समस्त रेवन्यू रिकोर्ड में इन्द्राज दुरुस्त किये जावे । रेवन्यू रिकोर्ड में चले आ रहे बैंक के रहन के इन्द्राज यथावत रहगें। इस बाबत प्रतिवादी संख्या 5 बैंक को सूचित किया जावे।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 20.07.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार चौधरी)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.12.13 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट **मुकाम** गंगापुर सिटी

इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

श्रीमती उगन्ती पत्नी नन्दकंवर जाति मीना निवासी ग्राम मीनापाडा तहसील गंगापुर सिटी —वादिया

बनाम

1. बाबूडी पत्नी स्व0 रामनिवास
2. मोहरसिंह
3. भूरसिंह
4. लोकेश

(2–4) पुत्रान स्व0 रामनिवास | (1–4) जाति – मीना, ग्राम – मीनापाडा, तहसील गंगापुर सिटी

5. मैनेजर, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर सिटी
6. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदारजी तहसील गंगापुर सिटी

– प्रतिवादीगण

उपस्थितः— 1. वादीया की ओर से श्री महेश चन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
2. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही।

दावा बावत – स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 116/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेश चन्द्र अग्रवाल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री कोई उपस्थित नही एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीया इस आशय का डिक्री किया जाता है कि भूमि खसरा नंबर 568 रकबा 0.17 हैक्टर वाके ग्राम मीनापाडा तहसील गंगापुर सिटी का वादिया को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के नाम चल रहे इन्द्राज को हजफ कर उक्त भूमि की खातेदारी वादिया के नाम दर्ज किया जावे । इसी अनुसार समस्त रेवन्यू रिकोर्ड में इन्द्राज दुरुस्त किये जावे । रेवन्यू रिकोर्ड में चले आ रहे बैंक के रहन के इन्द्राज यथावत रहगें। इस बाबत प्रतिवादी संख्या 5 बैंक को सूचित किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.07.2021 को जारी किया गया।

(अनिल कुमार चौधरी)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.12.13 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मुददई	रूपया	पैसा	मुददायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्चो		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

अनिल कुमार चौधरी)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.12.13 16:03:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner